अपील संख्या 84/2025

तारीख हुक्म	पाबूराम V/s सुगणी देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.05.2026	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्तागण उपस्थित। हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सुगणी देवी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व राजस्व वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया, साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 17.06.2025 को अन्तरिम स्थगन पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण में अपीलांट के पास यह विकल्प रहता है कि वह आगामी तारीख पेशी तक अपना जवाब प्रस्तुत कर अंतरिम आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में ही अनुतोष प्राप्त करने के लिए चाराजोही कर सकता है। साथ ही अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध की गई है तथा प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार अंतिम निर्णयन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही अपेक्षित है, न कि न्यायालय हाजा से। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधिसंगत नहीं होगा। अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा। **आदेश** अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोंडेंट्स बखूबी साबित नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया। (डा0 भास्कर बिश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली	